

an>

Title: Regarding demolition of 500 jhuggies around Shakurbasti Railway Station in Delhi.

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान जी, थोड़े शब्दों में बोलिए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): धन्यवाद मैडम, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया।

मैडम, मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के मामले देश के किसी न किसी हिस्से से सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों पंजाब में भी...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप रेलवे के बारे में जो बोलना चाहते हैं, वह बोलिए। पुरानी बातें और पूरा इतिहास मत बोलिए।

â€!(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: मैडम, जो शकूरबस्ती में 500 झुग्गियों को अमानवीय तरीके से गिराया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितनी देर वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं होता, उतनी देर आप उसको इस तरह से गिरा नहीं सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली ने रेलवे मंत्री जी को तीन पत्र भी लिखे कि आप ऐसा न करें, इन झुग्गियों को डिमॉलिश न करें, लेकिन उसके बावजूद उनकी अपील को ठुकराया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। इस तरीके जो बुलडोजर चले और उस हड़बड़ी में एक बच्ची की मौत की भी दुःखदायक खबर सामने आई है। मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय इस बात पर ध्यान दे, क्योंकि वह रेलवे की प्रॉपर्टी है, उसमें दिल्ली सरकार से बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया, उनसे पूछने या इजाजत लेने की कोई जद्दगत नहीं उठाई गयी। मैं सरकार से यह चाहता हूं, रेलवे मंत्री जी यहां मौजूद हैं, अगर वह इस पर बयान दें, इस पर विस्तृत बयान दें, ब्यौस दें कि क्यों 500 झुग्गी वालों को इस तरह बुलडोजर चलाकर तंग किया गया। माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी यहां बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि वह इस पर जवाब दें।...(व्यवधान) मैडम, वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, मकान बने नहीं और झुग्गियां तोड़नी शुरू हो गयीं। यह गरीबों पर अत्याचार है।...(व्यवधान) इसके बारे में मैं रेलवे मंत्रालय से जवाब चाहूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेश रंजन, श्री पी.के.बिजू, श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीवर, श्री धर्मेन्द्र यादव एवं श्री जय प्रकाश नारायण यादव को श्री भगवंत मान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

â€!(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब सभी नहीं बोलेंगे, बैठिए।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): Madam Speaker, the soft encroachments adjoining the cement siding Shakurbasti Railway Station area were removed on 12.12.2015 in the presence of Delhi Police personnel by Delhi Division of Northern Railway. The detailed facts furnished by the Divisional Railway Manger are as under.

These encroachments have become a source of impediment in the development of new passenger terminal and other infrastructural facilities at Shakurbasti. Recently, the National Green Tribunal has fined the Northern Railway for not maintaining cleanliness on and around the track. Such encroachments are the main source of garbage and open defecation, etc. Encroachments are safety hazards for train operation as well as for encroachers.

These were comprising purely temporary structures with plastic *panni*, *tirpals*, etc. Notices were served to encroachers for vacation of the Railway land by 14.03.2015 and 30.09.2015. The Delhi Police advised on 10.12. 2015 that police assistance will be provided on 12.12.2015 to vacate the land before 12.12.2015. Despite repeated notices, encroachers did not vacate the land and earlier their removal could not be materialized due to the non-availability of the required Police Force. The encroachments on 12.12.2015 were removed when the Delhi Police gave go ahead at 1150 hours and the whole exercise was completed peacefully without any coercion. There was no midnight operation as reported.

As per the report from the Northern Railway, the child alleged to have died during the encroachment removal drive, had expired much before the encroachment removal had commenced as confirmed from the Delhi Police records....(Interruptions)

I will invite the Chief Minister of Delhi for discussion, maybe today itself, on how public land could be cleared for utilisation of important public purposes and resource-less persons displaced from public land could be alternatively accommodated with a humanitarian approach. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, बैठ जाइए। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। बैठिए।

â€!(व्यवधान)... *